बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

BCC:ISD:113:09:273

Date: 08th November 2021

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001 **BSE CODE : 532134**	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 **NSE CODE : BANKBARODA**

Dear Sir/ Madam,

Re : Bank of Baroda - Notice of Extraordinary General Meeting

We refer to our letter no. BCC:ISD:113:16:256 dated 13th October 2021 and advise that Extraordinary General Meeting of the shareholders of our Bank has been scheduled as per details given below:

1	Date/ Time	Tuesday, 07th December 2021 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)
2	Agenda/ Business	Election of One Shareholder Director amongst the Shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970
3	Specified / Cut-off date	29th October 2021- To nominate, contest and vote at the meeting.
4	Remote E-Voting	From 9.00 a.m. on 03rd December 2021 to 5.00 p.m. on 06th December 2021.
5	Last date for submission of nominations	22nd November 2021 upto 4.00 p.m.

We also annex a copy of EGM Notice for further details.

We request you to take notice under applicable provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.

Yours faithfully,

P K Agarwal
Company Secretary

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई - 400 051,भारत.
Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, India.
फोन / Phone : 91 22 6698 5812 / 5733 • ई-मेल / E-mail : companysecretary.bcc@bankofbaroda.com • वेब / Web : www.bankofbaroda.in

असाधारण आम बैठक के लिए नोटिस
(एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

Notice of Extraordinary General Meeting
(Election of ONE Shareholder Director)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/
अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

**Through Video Conferencing (VC) /
Other Audio Visual Means (OAVM)**

मंगलवार, 07 दिसंबर, 2021
TUESDAY, 07TH DECEMBER, 2021

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA | देना DENA
India's International Bank

निवेशक सेवाएं विभाग
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, 7वीं मंजिल, सी -26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
ईमेल : investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT
Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

विषय
CONTENTS

	पृष्ठ सं. Page No.
नोटिस / NOTICE	1
नोट / NOTES	2
नामांकन फॉर्म / NOMINATION FORM	30-31
घोषणा / DECLARATION	32-33
प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचन-पत्र / DECLARATION AND UNDERTAKING BY A PROPOSED DIRECTOR	34-35

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय: अलकापुरी, बड़ौदा-390 007
कार्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, "जी" ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
(वेबसाइट: www.bankofbaroda.in)

नोटिस

एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) **मंगलवार, 07 दिसंबर, 2021 को सुबह 11:00** बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से संपन्न होगी:

1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे "विनियमन अधिनियम" कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख 'योजना' के रूप में किया गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित, बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसके बाद इसका उल्लेख 'विनियमन' के रूप में किया गया है) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई, 2016 को जारी दिशानिर्देशों (इसका उल्लेख "**भारत सरकार के दिशानिर्देशों**" के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी. सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 (इसका उल्लेख "**भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना**" के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) के अनुसार बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक निदेशक का चुनाव करना तथा चुनाव के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   ए) "**यह संकल्प पारित किया जाता है** कि संबद्ध योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से श्री /श्रीमती........................ का चुनाव निदेशक के रूप में किया गया है जिन्हें दिनांक **12 दिसंबर, 2021** से बैंक के निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो अपना कार्यभार संभालेंगे/संभालेंगी और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे/बनी रहेंगी".

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 अक्तूबर 2021

Bank of Baroda

Head Office: Alkapuri, Baroda – 390 007
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051
(website: www.bankofbaroda.in)

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on **Tuesday, 07th December 2021 at 11.00 a.m.**, to transact the following business:

1. To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as "the Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as **"RBI Notification"** and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 20th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to **"GOI Guidelines"** and further amendments thereto, if any) and pass the following resolution:-

   a) "RESOLVED THAT Shri / Smt. ____________________, elected as Director from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification and GOI Guidelines, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from **12th December 2021** and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of Board of Directors
For BANK OF BARODA

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 28th October 2021

नोट :

1. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक:**

- कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन की स्थिति और सामाजिक दूरी के साथ-साथ आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के मद्देनजर, एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 के माध्यम से सूचित किया है कि कंपनियों को 31 दिसंबर, 2021 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपने ईजीएम के आयोजन की अनुमति है.
- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की असाधारण आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है. बैंक का प्रधान कार्यालय, वडोदरा इस ईजीएम का आयोजन स्थल होगा.

2. **प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों की नियुक्ति:**

उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, इस ईजीएम बैठक में उपस्थित रहने तथा शेयरधारकों के लिए वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा शेयरधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी.

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी / इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर इसे v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 02 दिसंबर, 2021 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है.

3. **व्याख्यात्मक विवरण:**

बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

4. **विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख:**

नोटिस में उल्लिखित अनुसार बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के लिए अर्थात् **नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट** करने में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से **शुक्रवार, 29 अक्तूबर,** 2021 को विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीख निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है.

NOTES:

1. **Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM):**

- In view of the prevailing lock down situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide General Circular No. 10/2021 dated 23rd June 2021, companies are permitted to hold their EGM through VC/OAVM upto 31st December 2021.
- In compliance with the above provisions, Extraordinary General Meeting of the Bank being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). The deemed venue for the EGM shall be the Head Office, Vadodara of the Bank.

2. **Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):**

Pursuant to the aforesaid Circulars the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the shareholders is not available for this EGM.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent either by email to v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 4.00 p.m. on 02nd December 2021.

3. **Explanatory Statement:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

4. **Specified/Cut-Off Date:**

It has been decided to fix **Friday, 29th October 2021** as Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

5. **मताधिकार :**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के **कुल मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही कार्यसूची पर रिमोट ई-वोटिंग या यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का अधिकार नहीं है तो ईजीएम के स्थान पर वोटिंग करने के लिए पात्र है.

6. **ईजीएम में प्रतिभागिता:**

बैंक ने केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को असाधारण आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु तथा ईजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स नियुक्त किया है.

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम से संबंधित परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार:

ए) शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें प्रदान की गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले सकते हैं. बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है.

बी) शेयरधारक की ओर से प्रतिभागिता एवं वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

सी) निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और वहां सहभागिता करने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं.

शेयरधारक, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले ईजीएम में शामिल हो सकते हैं. ईजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक सदस्य भाग ले सकेंगे.

बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों,

5. **Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the EGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the EGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

6. **EGM Participation:**

The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited (KFin), Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Extraordinary General Meeting and the attendant enablers for conducting of the EGM.

Pursuant to the provisions of the circulars of EGM on the VC / OAVM:

a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.

b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.

c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the EGM through VC/ OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

The Shareholders can join the EGM 15 minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Upto 1000 members will be able to join on a FIFO basis to the EGM.

There will be no restrictions on account of FIFO entry into EGM in respect of large Shareholders

लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ईजीएम में फीफो के कारण प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (सदस्यों के लॉगिन) की उपस्थिति की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी.

ईजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है. नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है और यह ई-वोटिंग एजेंसी केफिन के वेबसाइट पते https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है.

7. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईजीएम से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:**

शेयरधारकों को केफिन द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी. शेयरधारक इसे https://emeetings.kfintech.com पर दूरस्थ ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए "ईजीएम-वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड स्ट्रीमिंग" आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित कार्यक्रम विवरणों और बैंक का नाम चुनना होगा. कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं.

- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम /फायरफॉक्स युक्त लैपटॉप /स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
- साथ ही, ऐसे सदस्य जो बैठक में बोलना चाहते हैं उन्हें कैमरा को ऑन रखना होगा और अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी तरह के व्यवधान से बचा जा सके. सदस्य पहले भी उसी पोर्टल में "स्पीकर रजिस्ट्रेशन" के तहत उपलब्ध कराये गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं. चूंकि कार्यसूची मद के अनुसार केवल एक शेयर धारक निदेशक का चुनाव करना है अतः बैठक के अध्यक्ष यह निर्णय लेंगे कि बैठक के दौरान शेयरधारकों को बोलने की अनुमति देनी है या नहीं.

(Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

The attendance of the Shareholders (members logins) attending the EGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.

The Notice calling the EGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on the website of e-voting agency KFin at the website address https://evoting.kfintech.com

7. **Instructions for the shareholders for attending the EGM through video conferencing:**

Shareholders will be provided with a facility to attend the EGM through video conferencing platform provided by KFin. Shareholders may access the same at https://emeetings.kfintech.com by clicking the Icon of "EGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders needs to select respective event details and name of the Bank. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/Firefox for better experience.
- Further Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The members can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration". As the agenda item is only election of one shareholder director, the Chairman of the Meeting will decide as to whether to allow shareholders to speak at the Meeting.

- कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सदस्यों को अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/वीडियो में खराबी (बंद/रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अतः उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें.

- कृपया नोट करें कि शेयरधारकों की समस्या /विचार/प्रश्नों का जवाब केवल तभी दिया जाएगा जब वह एजेंडा मदों से संबंधित हों और शेयरधारक के पास कट ऑफ तारीख अर्थात् 29 अक्तूबर, 2021 को शेयर धारिता हो. विंडो 03 दिसंबर, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से 04 दिसंबर, 2021 को सांय 05.00 बजे तक सक्रिय (यदि आवश्यक हो) रहेगी. तथापि, बैठक के अध्यक्ष यह निर्णय लेंगे कि शेयरधारकों को बैठक में बोलने की अनुमति दी जाए या नहीं.

- ऐसे सदस्य जो **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** के माध्यम से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं वे ईजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट ई-वोटिंग विवरणों का उपयोग करते हुए केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर लॉगिन कर देख सकते हैं.

8. **पते में परिवर्तन /लाभांश अधिदेश :**

ए) संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए और एनएसडीएल/सीडीएसएल पर पंजीकृत पते को बैंक द्वारा नोटिस पत्राचार भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते में पंजीकृत पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके. बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध, जो पते से संबंधित हों, पर कार्यवाही नहीं करेगा. ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए.

बी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्रा.लि. हैदराबाद को इस नोटिस में उपलब्ध पते पर दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी **प्रकार के परिवर्तन को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ ही रजिस्टर करना चाहिए, बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.**

- Please note that participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

- Please note that, shareholders queries/views/questions will be responded to, only if it relates to agenda item and the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 29th October 2021. The window shall be activated (if required) from 10.00 AM on 3rd December 2021 till 5.00 PM on 04th December 2021. However, Chairman of the Meeting will decide as to whether to allow shareholders to speak at the Meeting.

- Members who are not able to join this Meeting over **video conferencing will** be able to view the live webcast of proceedings of EGM by logging on the e-voting website of Kfintech at https://emeetings.kfintech.com using their remote e-voting credentials.

8. **CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:**

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

सी) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

9. **फोलियो का समेकन :**

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

10. **भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण- एक विशेष अनुरोध:**

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन अथवा ट्रांसपोजिशन को **छोड़कर प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि 01.04.2019 से ऐसी प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी के साथ अभौतिक रूप में नहीं रखी जाएं.** अतः हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने भौतिक शेयरों को तुरंत अभौतिक रूप में परिवर्तित करा लें.

शेयरधारक अभौतिकीकरण करने के लिए उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क कर सकते हैं जहां उनका डीमैट खाता है. अभौतिकीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं: (i) बाधारहित अंतरण (ii) शेयर प्रमाण पत्रों के गुम होने का कोई डर नहीं (iii) लाभांश/ कॉर्पोरेट लाभों को सीधे व त्वरित जमा कराया जा सकता है (iv) नामांकन सुविधा (v) एएसबीए/ आईपीओ आदि के जरिए सीधा आवेदन.

11. **पिछले वर्षों के दावा न किए गए/ भुगतान न किए गए लाभांश, यदि कोई हो:**

शेयरधारक कृपया यह नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान/दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

9. **CONSOLIDATION OF FOLIOS:**

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

10. **DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:**

SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, **requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019.** Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

11. **UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:**

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/ unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

"अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण के लिए भविष्य की निर्दिष्ट तारीखों को नीचे दिया गया है.

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश —अंतरिम / अंतिम	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
			बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2014-2015	अंतिम	29 जुलाई, 2022	27 जुलाई, 2022	01 अगस्त, 2022
2	2015-2016	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	2016-2017	अंतिम	06 अगस्त, 2024	29 जुलाई, 2024	लागू नहीं
4	2017-2018	अंतिम	लागू नहीं	04 अगस्त, 2025	लागू नहीं
5	2018-2019	शून्य	लागू नहीं		
6	2019-2020	शून्य	लागू नहीं		
7	2020-2021	शून्य	लागू नहीं		

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014-15 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयरअंतरण एजेंट अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा) सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: https://www.kfintech.com टोल फ्री नंबर - 1-800-309-4001	**निवेशक सेवाएं विभाग** बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com

12. **असाधारण आम बैठक में चुनाव प्रक्रिया:**

रिमोट ई-वोटिंग:

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक की नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2013-14 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2014-15 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Dividend –Interim / Final	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
			Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2014-2015	Final	29th July, 2022	27th July 2022	01st August 2022
2	2015-2016	NIL	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
3	2016-2017	Final	06th August, 2024	29th July 2024	Not Applicable
4	2017-2018	Final	Not Applicable	04th August 2025	Not Applicable
5	2018-2019	NIL	Not Applicable		
6	2019-2020	NIL	Not Applicable		
7	2020-2021	NIL	Not Applicable		

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2014-15 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

KFin Technologies Pvt. Ltd. (Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1- 800-309-4001	**Investors' Services Department** Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

12. VOTING PROCESS AT THE EGM:

Remote E-Voting:

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of

डालने हेतु रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

ए) बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु **केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड को रिमोट ई- वोटिंग एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया है.

बी) **रिमोट ई-वोटिंग हेतु पोर्टल शुक्रवार, 03 दिसंबर, 2021 को सुबह 9.00 बजे से सोमवार, 06 दिसंबर, 2021 को शाम 5 बजे तक (दोनों दिन सहित) सभी दिनों को पूरा समय खुला रहेगा.**

सी) **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है. निर्दिष्ट तारीख (कट-ऑफ़-डेट) अर्थात् शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 2021** को भौतिक या अभौतिक (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.

ई-वोटिंग की लॉगिन विधि :

- **केवल डीमैट में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लागू**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों को डिपॉजिटरीस और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचालित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट डालने की अनुमति है. ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें.

वैयक्तिक सदस्य (जिनकी प्रतिभूतियाँ डीमैट स्वरूप में हैं), के लिए डिपॉज़िटरी के माध्यम से लॉगिन

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. **IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत उपयोगकर्ता:** I. यूआरएल: https://eservices.nsdl.com II. 'IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत "बेनीफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें. III. नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सैस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें. IV. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर री-डाइरेक्ट किया जाएगा.	1. **मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest का चयन किया है.** I. यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या URL: www.cdslindia.com II. न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें III. यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें. IV. बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने हेतु विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. V. अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें.

the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **KFIn Technologies Private Limited as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) **The Portal will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Friday, 03rd December 2021 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Monday, 06th December 2021 (both days inclusive).**

c) **Remote e-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date i.e. Friday, 29th October 2021**, may cast their vote electronically.

Login method for e-voting :

- **Applicable only for Individual members holding securities in Demat**

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

NSDL	CDSL
1. **User already registered for IDeAS facility:** I. URL: https://eservices.nsdl.com II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	1. **Existing user who have opted for Easi / Easiest** I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com II. Click on New System Myeasi III. Login with user id and password. IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.

एनएसडीएल	सीडीएसएल
2. ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकरण नहीं किया है I. पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com II. "रजिस्टर ऑनलाइन फॉर IDeAS का चयन करें. III. आवश्यक फ़ील्ड को भरें और आगे बढ़ें. जो उपयोगकर्ता IDeAS ई-सर्विसेज के लिए पंजीकृत नहीं है I. पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. आवश्यक फ़ील्ड को भरें और आगे बढ़ें.	**2. ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest के लिए पंजीकरण नहीं किया है** I. पंजीकरण करने के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है. II. आवश्यक फ़ील्ड को भरें और आगे बढ़ें.
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ II. 'शेयरहोल्डर/मेम्बर' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें. III. स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के पास स्थित 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करें. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. V. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा.	**3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर** I. यूआरएल: www.cdslindia.com II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें. III. सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी, जहां ई-वोटिंग प्रक्रिया जारी है, के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा.

NSDL	CDSL
2. User not registered for IDeAS e-Services I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com II. Select "Register Online for IDeAS" III. Proceed with completing the required fields. User not registered for IDeAS e-Services I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. Proceed with completing the required fields.	**2. User not registered for Easi/Easiest** I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration II. Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of NSDL I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/ II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	**3. By visiting the e-Voting website of CDSL** I. URL: www.cdslindia.com II. Provide demat Account Number and PAN No. III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress.

वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) की अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन

ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं. लॉग इन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants.

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें.

सदस्य द्वारा किसी भी तकनीकी समस्या के लिए – एनएसडीएल	सदस्य द्वारा किसी भी तकनीकी समस्या के लिए – सीडीएसएल
लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क को संपर्क कर सकते हैं.	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क को संपर्क कर सकते हैं.

- **गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू**

  गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लॉगिन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

क. प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल के मुख्य भाग में दिया गया है.

ख. इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें और एड्रेस बार में यूआरएल https://evoting.kfintech.com टाइप करें.

ग. अपने ईमेल में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल अर्थात् यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें. आपका फोलियो नं./ डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी. हालांकि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिन के साथ पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें.

घ. उचित प्रकार से विवरण प्रविष्ट करने के बाद LOGIN पर क्लिक करें.

ङ. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित (@,#,$, आदि) न्यूनतम 8 कैरेक्टर होने चाहिए. **यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.**

च. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.

छ. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको EVENT अर्थात् **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु निर्देश देगा.

ज. वोटिंग पृष्ठ पर, **निर्दिष्ट तारीख** पर आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या (जो वोट की संख्या दर्शाते हैं) प्रदर्शित होगी. यदि आप

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

- **Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form**

  Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below:

Procedure and Instructions for remote e-voting are as under:

a. Initial password is provided in the body of the email.

b. Launch internet browser and type the URL: https://evoting.kfintech.com in the address bar.

c. Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./ DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFin for e-voting, use your existing User ID and password for casting your votes.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Bank of Baroda

h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on

संकल्प पर सहमति/ असहमति वाले सभी वोट डालना चाहते हैं, तो all shares दर्ज करें और 'FOR'/'AGAINST' जैसा भी मामला हो, पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' और आंशिक रूप से 'AGAINST' पर क्लिक करें, लेकिन 'FOR' और/ या 'AGAINST' को मिलाकर कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयरों की गणना किसी भी हेड के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

झ. एक से अधिक फोलियो/ डीमैट खाता रखने वाले सदस्यों को प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करना होगा.

ञ. उपयुक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट डालें और 'SUBMIT' पर क्लिक करें. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आपको बाद में अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मतदान की अवधि के दौरान आप एक से अधिक बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि आप यह पुष्टि नहीं कर देते कि आपने संकल्प पर मतदान कर दिया है.

ट. कॉर्पोरेट/ संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र आदि की स्कैंड इमेज (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजना अपेक्षित है और इसे अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड कर सकते हैं.

ठ. यदि आपका कोई प्रश्न/ शिकायत हो तो आप https://evoting.kfintech.com पर डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट :बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32 गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032 के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू से ईमेल v-raju.sv@kfintech.com पर और दूरभाष संख्या 1-800-309-4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

13. वोटिंग/ चुनाव के संवीक्षक:

चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी. बैंक द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव को स्वतंत्र सालहकार के रूप

the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/ or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

i. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.

j. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.

k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf/jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login.

l. In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual available at the 'download' section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Kfin Technologies Pvt. Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032 at e-mail v-raju.sv@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).

13. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL:

The entire process of Election would be conducted by the Returning officer appointed by the Bank. M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries Independent Consultant appointed for the said

में नियुक्त किया गया है जो बैठक की कार्यसूची मदों के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

14. रिमोट ई-वोटिंग तथा चुनाव के परिणाम:

असाधारण आम बैठक में मतदान तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा बैठक के अंत में या निर्धारित समय सीमा के भीतर की जाएगी तथा इन्हें बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

विशेष ध्यानाकर्षण हेतु:

भारत सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के उद्देश्य से ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने संबंधित डिपॉजिटरी/ आरटीए/ बैंक के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ ईमेल आईडी पंजीकृत करें अथवा मेल पर वार्षिक रिपोर्ट और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नोटिस के पैरा नं. 11 में उल्लिखित पते/ ई-मेल आईडी पर आरटीए/ बैंक को लिखित रूप में ईमेल/ अनुरोध प्रस्तुत करें.

व्याख्यात्मक विवरण:

बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) (3) (i) के अनुसरण में, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अलावा निम्नलिखित तीन निदेशक शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

i. **श्री श्रीनिवासन श्रीधर (12.12.2018 से 11.12.2021 तक प्रभावी)**

ii. श्रीमती सौंदरा कुमार (24.12.2020 से 23.12.2023 तक प्रभावी)

iii. श्री आलोक वाजपेयी (09.07.2021 से 08.07.2024 तक प्रभावी)

-1- निर्वाचित शेयरधारक निदेशक अर्थात् श्री श्रीनिवासन श्रीधर का कार्यकाल दिनांक 11.12.2021 को समाप्त हो रहा है, तद्नुसार, उक्त रिक्ति को भरने के लिए निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक (शेयरधारक निदेशक) से भिन्न का चुनाव कराने का निर्णय लिया है.

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना और दिशानिर्देशों की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन प्रेषित करने के पात्र हैं.

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की जांच और निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति निदेशक मंडल द्वारा उन्हें **'उपयुक्त एवं समुचित'** स्थिति में पाए जाने के बाद

purpose by the Bank shall also act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of the agenda items of the meeting.

14. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL:

The consolidated results of remote e-voting and voting at the EGM will be announced at the end of the Meeting or within the prescribed time limits and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Kfin Technologies Pvt. Ltd.

SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/ Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/Bank at the address/email ID stated at para no. 11 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over mail.

EXPLANATORY STATEMENT:

Election of One Shareholder Director of the Bank

Pursuant to section (9) (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at present the Board of Directors of our Bank has following Three Directors representing Shareholders other than the Central Government:

i. **Shri Srinivasan Sridhar (w.e.f. 12.12.2018 to 11.12.2021)**

ii. Smt. Soundara Kumar (w.e.f. 24.12.2020 to 23.12.2023)

iii. Shri Alok Vajpeyi (w.e.f. 09.07.2021 to 08.07.2024)

The term of -1- elected Shareholder Director i.e., Shri Srinivasan Sridhar ends on 11.12.2021 Accordingly, to fill in the said vacancy, the Board of Directors have decided to conduct Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government. (Shareholder Director)

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her **'Fit & Proper'** Status by the Nomination and Remuneration Committee

अथवा तत्पश्चात् असाधारण आम बैठक में चुनाव के बाद होगा. इस प्रकार चयनित निदेशक 12 दिसंबर, 2021 से अपना कार्य संभालेंगे **और अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यग्रहण करेंगे.**

निदेशक के चुनाव के लिए अन्य प्रावधान:

ए. विधिक प्रावधान:

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं : –

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई)	➢ महत्वपूर्ण लाभ
	धारा 16 (1)	➢ सामान्य निदेशकों का निषेध
	धारा 20	➢ बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई)	➢ वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9 (3)(i)	➢ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9 (3ए) (ए) से (सी)	➢ कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान
	धारा 9 (3एए) व धारा 9 (3एबी)	➢ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठ या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता.
	धारा 9 (3बी)	➢ ऐसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3एए) की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार
	धारा 13(2)	➢ निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9 (4)	➢ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	➢ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं
	खंड 11	➢ निदेशक कार्यालय को खाली करना
	खंड 11ए	➢ निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना
	खंड 11 बी	➢ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरा जाना

of the Board / Board of Directors or subsequent election at the EGM. The Shareholder Director so elected shall assume office from 12th December 2021 and shall hold office for a period of three years.

OTHER PROVISIONS FOR ELECTION OF DIRECTOR:

A. LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e)	➢ Substantial Interest
	Section 16 (1)	➢ Prohibition of Common Directors
	Section 20	➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	➢ Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	➢ No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A) (A) to (C)	➢ Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) & Section 9(3AB)	➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	➢ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	➢ Term of office of elected directors
	Clause 10	➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	➢ Vacation of office of Director
	Clause 11A	➢ Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
	खंड 12 (8)	➢ निदेशकों के हितों वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
बैंक ऑफ़ बड़ौदा आम (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग ➢ आम बैठकों में वोट देना ➢ आम बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक ➢ शेयरधारकों की सूची ➢ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➢ नामांकनों की जांच ➢ चुनाव विवाद ➢ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण ➢ विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना ➢ प्रॉक्सी
भा.रि.बैं. अधिसूचना सं. डीबीआर. नियुक्ति.सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और अन्य.	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए समुचित एवं उपयुक्तता मानदंड
दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित भारत सरकार के पत्र सं. एफ.न.16/51/2012-बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित अंशकालिक अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिनांक 25 मार्च, 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश		बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक का चुनाव करते समय उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा.

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
	Clause 12(8)	➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended up to 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➢ Exercise of rights of joint holders ➢ Voting at General Meetings ➢ Directors to be elected at General Meetings ➢ List of Shareholders ➢ Nomination of candidates for election ➢ Scrutiny of nominations ➢ Election disputes ➢ Determination of voting rights ➢ Voting by duly authorized representative ➢ Proxies
RBI Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and others	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015.		निदेशकों के संबधियों को ऋण एवं अग्रिमों की स्वीकृति
सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015		स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियम के संबद्ध अंशों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे जो उपयोगकर्ता द्वारा देखे/डाउनलोड किए जा सकते हैं. ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को, उनके द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात् 22 **नवंबर**, 2021 को अथवा उससे पहले कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, कार्पोरेट कार्यालय के पास उनके ई-मेल companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर अनुरोध प्राप्त होने पर ई- मेल द्वारा भी ई-मेल किए जा सकते हैं.

बी. चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, 29 अक्तूबर,** 2021 को एनएसडीएल / सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी शेयरधारक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भागीदारी अर्थात् **नामित करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने** की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, परंतु पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में उपस्थित रहेगी.

सी. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं:

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:

ए) यदि वह, किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो; अथवा

बी) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.bankofbaroda.in. which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **22nd November 2021.**

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified/Cut- Off Date** i.e., on **Friday, 29th October 2021** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्रहीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा

डी) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/करती है. (इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल है.

(बी) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों सं. एफ.सं. 16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और दिनांक 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03 सितंबर, 2013 के मानदंडों के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है.

डी. अवधि:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुन:चुनाव के लिए पात्र होगा.

बशर्ते, वह निदेशक अपने पद पर लगातार छ: वर्ष से अधिक की अवधि तक न रह रहा हो.

ई. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता:

1. अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को:

ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
ii. बैंकिंग
iii. सहकारिता
iv. अर्थशास्त्र
v. वित्त
vi. विधि
vii. लघु उद्योग
viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(B) If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR. Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

D. TENURE:

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3) (i) of the Act shall

a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

i. agriculture and rural economy
ii. banking
iii. co-operation
iv. economics
v. finance
vi. law
vii. small scale industry
viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in

अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो.

(भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र सं. डीबीआर.नियुक्ति.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से बैंक में निदेशक के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करने हेतु विशेषज्ञता का विस्तार किया है. (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) कारोबार प्रबंधन)

बी) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

2. अधिनियम की धारा 9 (3एए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे "**उपयुक्त एवं समुचित**" हैसियत वाला होना चाहिए.

अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, उपयुक्त एवं समुचित हैसियत का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हों या आवश्यक समझे जाएं को ध्यान में रखें.

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए.

एफ. भारतीय रिज़र्व बैंक की "उपयुक्त एवं समुचित" (फिट एंड प्रॉपर) मानदंड संबंधी अधिसूचना:

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति.सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले उपयुक्त एवं समुचित मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है.

अधिसूचना की मुख्य बातें:

उपयुक्त एवं समुचित स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:

ए) प्राधिकार :

बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

(RBI vide its circular no.DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

b) represents the interest of depositors; or

c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess **'Fit and Proper'** status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

F. RBI'S 'FIT AND PROPER' CRITERIA Notification:

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Salient Features of the Notification:

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

a) Authority:

The Bank is required to constitute a Nomination and

[इसके बाद से समिति कहा जाएगा] का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल [इसके बाद से बोर्ड कहा जाएगा] से तीन गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे. एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी)/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस समिति में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक और कम से कम एक निदेशक जोखिम प्रबंधन समिति से होना चाहिए.

बी) पद्धति एवं प्रक्रिया :

बैंकों को चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से आवश्यक सूचना एवं घोषणा एवं वचनपत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लेना चाहिए. समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं. समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए. हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

सी) मानदंड :

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को प्रस्तावित प्रत्याशियों की 'उपयुक्त एवं समुचित' हैसियत का निर्धारण बोर्ड के निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए: -

(i) **आयु:** निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रस्तुति हेतु प्रत्याशी की आयु तय की गई कट-ऑफ तारीख तक 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

(ii) **शैक्षणिक योग्यता:** प्रत्याशी को कम से कम स्नातक होना चाहिए.

(iii) **अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र:** प्रत्याशी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित एसबीआई अधिनियम की धारा 19A(a)/

Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one Shareholder from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/ clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format. from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

c) Criteria:

The Nomination and Remuneration committee should determine the **'fit and proper'** status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) **Age:** The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(ii) **Educational qualification:** The candidate should at least be a graduate.

(iii) **Experience and field of expertise:** The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3A)(A), जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किसी एक या अधिक विषय पर विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.

(iv) **अयोग्यता:** एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22 / राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित निदेशकों की अयोग्यता के अतिरिक्त;

ए) प्रत्याशी को किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए.

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा या उप-पैरा (सी) के उद्देश्य से बैंक से आशय बैंकिंग कंपनी, समकक्ष न्यू बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है.

बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार, निवेश, लीज़िंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हों.

सी) किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था/भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अलग-अलग समय पर किसी भी श्रेणी में -6- वर्ष निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता.

डी) प्रत्याशी को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए.

ई) प्रत्याशी को संसद या राज्य विधानसभा या नगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद् आदि निकाय) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए.

the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

(d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

(e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).

एफ) प्रत्याशी को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूम में कार्य कर रहा हो.

जी) प्रत्याशी को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए, जो जिस बैंक के चुनाव के लिए नामांकन किया गया है, उसमें वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो.

(v) **अवधि:** निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा: बशर्ते वह निदेशक लगातार या अलग-अलग समय पर -6- वर्ष से अधिक समय तक निदेशक के रूप में सेवा नहीं देगा.

(vi) **व्यावसायिक प्रतिबंध:**

ए) प्रत्याशी का संबंधित बैंक के साथ न ही व्यावसायिक संबंध होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो उस बैंक के व्यावसायिक हितों को (विधिक सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) नुकसान पहुंचाए.

बी) प्रत्याशी का बैंक या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)) के साथ पेशेवर संबंध नहीं होना चाहिए.

बशर्ते कि निर्वाचन के लिए नामांकन दर्ज करते समय प्रत्याशी का बैंक के साथ ऐसा संबंध मद (बी) के तहत वांछित अपेक्षा को पूरा करता है, प्रत्याशी समिति के समक्ष यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि निदेशक के रूप में उसका निर्वाचन होता है तो वह बैंक के साथ ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा और निर्वाचन पश्चात बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा.

(vii) **ट्रैक रिकॉर्ड तथा निष्ठा:** प्रत्याशी को किसी विनियामक या पर्यवेक्षक प्राधिकारी/ एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो और वह किसी ऋणदाता संस्थान का डिफॉल्टर न हो.

(f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

(g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

(v) **Tenure:** An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

(vi) **Professional Restrictions:**

(a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

(b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) **Track record and integrity:** The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए:

ए) ऐसे व्यक्ति के निदेशक पद धारण करने से पहले संलग्न निर्धारित प्रारूप में निष्पादित प्रसंविदा विलेख;

बी) प्रति वर्ष 31 मार्च को एक सामान्य घोषणापत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

सी) यदि निर्वाचित निदेशक द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में परिवर्तन हुआ है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुलग्नक प्राप्त करेगा जिसमें ऐसे परिवर्तनों को शामिल किया गया हो.

बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि:

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन किया जाता है. साथ ही,

ए) निर्वाचित सीए निदेशक उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण और उसके स्वयं/ फर्म के ग्राहकों से संबन्धित बैंक के क्रेडिट/ निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता न करने सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएं. निर्वाचित सीए निदेशक के लिए यह आवश्यक हो जाना चाहिए कि वह पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखें और इस आशय से एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करें.

बी) निर्वाचित निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक के रूप में व्यक्तिगत रूप से स्वयं को उन संस्थाओं सहित जिनमें वह रुचि रखते हैं, से दूर रखते हुए तथा बैंक के क्रेडिट / निवेश निर्णयों में प्रतिभागिता न करते हुए व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और डायरेक्टरशिप का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करें.

सी) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो साल की अवधि के लिए उस व्यक्ति को, जिसे उस बैंक का निदेशक चुना गया है, कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित नहीं किए जाएं.

जहां निर्वाचित निदेशक:

(ए) निम्नलिखित के संबंध में विफल रहते हैं

(i) प्रसंविदा विलेख या घोषणा पत्र का प्रस्तुत करने में; या

(ii) उचित प्रकटीकरण करने में; या

(iii) जिसमें उनकी रूचि है ऐसे क्रेडिट / निवेश निर्णयों में सहभागिता करने से बचने में

(बी) अधूरा या गलत प्रकटीकरण करता है, या

(सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो उसे उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार उपयुक्त और समुचित नहीं' बनाते हैं. ऐसे निदेशक को एसबीआई अधिनियम की धारा 19 ए की उपधारा (2)/ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की

The banks shall obtain from the elected director:

(a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;

(b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

The banks shall also:

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

(a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/ investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

(b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.

(c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

(a) fails to

(i) submit the Deed of Covenant or declaration; or

(ii) make proper disclosures; or

(iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of

धारा 9 की उपधारा (3 एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा तथा इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा.

समिति नए निदेशकों (नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति) के रूप में चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन की जांच करते समय ऊपर बताए गए संशोधित मानदंडों को अपनाएगी. हालांकि, मौजूदा निर्वाचित निदेशकों को पूर्व-संशोधित मानदंडों के अनुसार अपनी वर्तमान शर्तों को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है.

जी. भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 एवं 20 जुलाई, 2016 के दिशानिर्देश:

इसके अलावा, भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितंबर, 2013 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार, निदेशक मण्डल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति शेयरधारक निदेशक की "**उपयुक्त तथा समुचित स्थिति**" का निर्धारण करते समय अशासकीय निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखेगी. भारत सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिशानिर्देशों में संशोधन किया है तथा अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के साथ पठित दिनांक 8 जुलाई, 2016 के संशोधन द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजा है जिसके सार निम्नानुसार है:

ए) सामान्य:

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.

2. नामिती की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए. सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे ही निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यावसायिक व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए.

बी) अनुभव:

1. सामान्यत: कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा. उद्योग में वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के अनुभव, संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी घाटे में चल रहे संगठन को उबारकर मुनाफे में लाया हो) को वरीयता दी जाएगी.

Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new directors (appointment/re-appointment). However, existing elected directors may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria.

G. GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 20th JULY 2016:

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining **"Fit and Proper Status"** of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

a) General:

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.

2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience:

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो और संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद. पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/ कार्यपालक निदेशकों की उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक, जो अभी सेवा में हैं, की किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के निदेशक मण्डल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा.

3. प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्रोफेसर जिन्हें 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो.

4. 20 वर्ष का अनुभव (ऑडिट अनुभव के अलावा) रखने वाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी.

5. हालांकि, मामले की मेरिट के आधार पर विशिष्ट मामलों में वित्तमंत्री के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है.

6. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा एससी/एसटी समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है.

सी) शिक्षा:

अशासकीय निदेशक (एनओडी) को किसी भी वर्ग में विशेषत: व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ कम से कम स्नातक होना चाहिए,

डी) आयु:

निदेशक की आयु, सर्च/ नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ई) कार्य अनुभव:

पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को अपने विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यत: 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

एफ) अयोग्यता:

i. यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्था (एफआई)/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में उनके नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा.

ii. किराया खरीद, वित्त पोषण निवेश, पट्टा या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति एम पी, एमएलए,

2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.

6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education:

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age:

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience:

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications:

i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and

एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों /वित्तीय संस्थाओं/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, पट्टा या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए निवेशकों को अशासकीय निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उनका ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं हैं.

iii. किसी भी व्यक्ति को, जो पहले किसी बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या -6- वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता है.

iv. कोई सनदी लेखाकार, यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो.

v. कोई सनदी लेखाकार यदि उसकी फर्म किसी बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूम में कार्य कर रही हो.

जी) अवधि:

किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में -6- वर्षों के लिए लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक निदेशक रह चुके हैं.

एच) व्यावसायिक प्रतिबंध:

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के कार्यालय के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध के मामलों का अलग से परीक्षण किया जा सकता है.

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में देश के सभी छः जोन - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए.

एच. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण:

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में पदस्थ **सहायक महाप्रबंधक**, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवाईसी-एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर. एस. नं. 576, आर सी दत्त रोड, सेंटर पॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 में 12

Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/ RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

iii. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

iv. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

v. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) Tenure:

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction:

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation:

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the **Assistant General Manager**, Bank of Baroda, KYC-AML Department, Head Office, 7th Floor, Baroda Bhawan, R. S. No. 576, R C Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri,

नवंबर, 2021 से 01 **दिसंबर**, 2021 तक सभी कार्य दिवसों (दूसरे एवं चौथे शनिवार, रविवार और बैंक अवकाश के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तथा पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर **2:00 बजे** से सायं **4:00 बजे** तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें.

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/ अंश की कंम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु रु. 5/- की दर से राशि का भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा.

आई. शेयरधारकों की सूची:

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियम 64 में दिया गया है, यथासंशोधित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में) बैंक के वडोदरा स्थित प्रधान कार्यालय में, 12 **नवंबर**, 2021 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में वडोदरा में देय किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करने पर शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी. इच्छुक अभ्यर्थी को उक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा– 390 007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी–26, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई** 400051 को इस वचन-पत्र के साथ देना होगा कि इस सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई अन्य उपयोग नहीं किया जाएगा.

जे. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन:

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगा:

ए) विनियमों के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह **विनिर्दिष्ट / अंतिम तारीख शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 2021** को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि चुन लिया जाता है तो उसके कार्यकाल के बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक बने रहना चाहिए.

बी) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम **एक सौ पात्र शेयरधारकों** अथवा यथाविधि उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक

Vadodara (Gujarat)-390007 on all working days from **12th November 2021** to **01st December 2021** (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e., Monday to Friday and first and third Saturdays between **2.00 pm** to **4.00 pm** for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

I. LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form) will be available at the Head Office, Vadodara / Corporate Office, Mumbai of the Bank from **12th November 2021** for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank or direct credit in favor of “Bank of Baroda”. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday 29th October 2021** being the **Specified/Cut-Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) The valid nomination in writing signed by at least **One Hundred Shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination

के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्यप्रति लिपि के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा– 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी–26, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई** 400051 को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा.

सी) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियमन अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नही है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को उपयुक्त रूप में हस्ताक्षरित करते हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसके अधिकतम ज्ञान व जानकारी में सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा.

डी) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात् 22 **नवंबर,** 2021 तक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 1998 (जैसा कि अब विनियमन के रूप में संदर्भित होगा) के अंतर्गत अयोग्य न हो और उसके बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों अथवा निदेशक के चुनाव के संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-

by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office / Corporate Office of the Bank addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

d) As on **22nd November 2021** , being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of

20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक मण्डल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं समुचित' पाया गया हो.

ई) नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमों के द्वारा निर्धारित हैं और इस नोटिस के साथ **संलग्न प्रारूप में** दिए गए हैं. (यह प्रोफ़ार्मा बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर भी उपलब्ध है.)

के. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार को छोड़कर, बैंक के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज **सीलबंद लिफाफे में** जिस पर **'बैंक ऑफ़ बड़ौदा निदेशकों का चयन– दिसंबर 2021'** लिखा हो, उसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/कुरियर के माध्यम से **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन)** को संबोधित करते हुए **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा– 390 007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी–26, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को असाधारण आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् 22 **नवंबर, 2021 को सायं 4:00 बजे** तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए.

ए) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र

बी) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों से वैध नामांकन फॉर्म

सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र के साथ–साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाण–पत्र **अर्थात् स्व–प्रमाणित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र, बैंक के लिए उपयुक्त अनुभव आदि की प्रतियां संलग्न हो.**

डी) उक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है.

एल. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव:

ए) नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस को अर्थात् 23 **नवंबर,** 2021 को बैंक द्वारा नामांकनों की स्वीकार्य नियम एवं विनियमों के तहत

Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the **proforma annexed** to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.bankofbaroda.in)

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** superscribing thereon **"Bank of Baroda Election of Directors – December 2021"** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before **4.00 p.m., on 22nd November 2021**:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.,**

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

a) Nominations shall be scrutinized on **23rd November 2021**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations in terms of applicable laws and regulations and

की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

बी) वैध नामांकन भी भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मण्डल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, द्वारा जांच किए जाने के अधीन होगी. चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध समान स्वरूप के हैं, अत: बैंक अभ्यर्थियों के उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से जो अधिक सख्त हों, उस पर विचार कर सकता है.

सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या/बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/ निदेशक मंडल द्वारा सूचित किए अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों की मांग कर सकता है.

डी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी/शियों को उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. ऐसी किसी स्थिति में अथवा किसी भी नामांकन के वैध नहीं पाए जाने पर असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की जाएगी. नए चुने गये निदेशक 12 दिसम्बर, 2021 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे.

ई) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो चुनाव होने की दशा में प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचित होंगे और उनके नाम बैठक में घोषित किए जाएंगे तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएंगे.

एम. उम्मीदवारी वापस लेना:

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह **दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 को बैंक के कामकाज के घंटों की समाप्ति से पहले, अर्थात् शाम 4.00 बजे से या पूर्व किसी भी समय, मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, सेंटर प्वॉइंट के सामने,**

in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors, as the case may be, in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

d) After the scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee, if there is only **One** valid nomination/s for one vacancy to be filled by the election, the candidate/s so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/ her name/s and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the Extraordinary General Meeting will not be conducted. The newly elected director will assume office from 12th December 2021 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

e) If there are more than One valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of the votes i.e. aggregate of remote E-voting and E-voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and published in newspapers.

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. **on or before 4.00 p.m. on 01st December 2021** by sending a signed letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Opp. Centre Point, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor,**

अलकापुरी, वडोदरा-390 007 को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेज कर या gm.ops.ho@bankofbaroda.com अथवा companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र का ई-मेल भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है.

एन. विवादः

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998, यथा संशोधित के विनिमय 67 के अनुसार उसे निपटाया जाएगा.

ओ. उद्धरणः

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्धरण शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किए गए हैं. जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव companysecretary.bcc@bankofbaroda.com को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं.

पी. निदेशकों का हितः

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं, कारोबार की उक्त मदों से उन्हें सरोकार है या उसमें उनका हित है ऐसा समझा जाएगा.

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

संजीव चड्ढा
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28 अक्तूबर 2021

Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051 or sending scanned and signed letter over e-mail at gm.ops.ho@bankofbaroda.com; OR alternately companysecretary.bcc@bankofbaroda.com.

N. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

O. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at companysecretary.bcc@bankofbaroda.com and obtain the same.

P. INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

Sanjiv Chadha
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 28th October 2021

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

क्र सं.

नामांकन फार्म

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय,
वडोदरा.

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2021 के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री .... बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, शुक्रवार, 29 **अक्तूबर,** 2021 अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/कट ऑफ तारीख को प्रत्येक रु. 2/- के .... इक्विटी शेयरों का धारक, एतद् द्वारा श्री/सुश्री .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी .... निवासी .... को **मंगलवार, दिनांक** 07 **दिसम्बर,** 2021 को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूं/करती हूं.

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. **(यदि अभौतिक रूप में न हो)**	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. **(यदि अभौतिक रूप में हो.)**	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी :

ए) यदि नामांकन किसी कॉर्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की बैठक में पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.

बी) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.

सी) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है.

Sr. No.

NOMINATION FORM

To
Managing Director & CEO,
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your EGM Notice dated _______ 2021, I, …………………………………… a Shareholder of Bank of Baroda holding …………… equity shares of Rs. 2/- each fully paid up as on **Friday, 29th October 2021** i.e., the Specified/ Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. ……………………………………… son / daughter / wife of ………………………………residing at ………………………………………………… …… ………… …. for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Tuesday, 07th December 2021**.

Name	
Signature	
No. of Shares Held	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

a) In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

b) Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

घोषणा पत्र

मैं, ... सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी श्री/ श्रीमती ....
निवासी.. एतदद्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि :-

ए) मैं **29 अक्तूबर, 2021** अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को बैंक के रु. 2/- प्रति शेयर वाले .... इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूं और घोषणा करता/ करती हूं कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता/ जाती हूं, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक शेयरधारिता रखूंगा/रखूंगी.

बी) *मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा अन्य किसी विषय, सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/ करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूं/करती हूं, और

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

सी) मैं नामाकंन क्रमांक ....स्वीकार करता हूं/ करती हूं; और

डी) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता/ चाहती हूं; और

ई) मैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी मानदंडों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं और

एफ) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूं; तथा

जी) मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूं/ करती हूं अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का/ की कर्मचारी हूं.

साथ ही मैं घोषणा करता/ करती हूं:

एच) मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैंनें कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या प्रशमन नहीं किया है; तथा

आई) मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हैं और न ही कभी नैतिक भ्रष्टता के किसी जुर्म में किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है; तथा

जे) मुझे कभी किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

के) मैं चयन होने के पश्चात बैंक के साथ अपने पेशेवर रिश्ते, यदि कोई हो, को समाप्त करूंगा/ करूंगी तथा बैंक के साथ निदेशक के रूप में अपनी कार्यभार अवधि के दौरान और उसके बाद के दो वर्षों की अवधि के लिए कोई पेशेवर रिश्ता नहीं रखने का वचन देता/ देती हूं.

एल) मैं पहले भी किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था या किसी बीमा कंपनी या एनओएफएचसी धारक किसी अन्य बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हूं.

एम) मैं किसी किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार देने, निवेश, लिजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ / जुड़ी हुई नहीं हूं;

एन) मैं पहले भी किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अलग-अलग समय पर -6- वर्षो के लिए निदेशक नहीं रहा/ रही हूं.

ओ) मैं स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में शामिल नहीं हूं.

पी) मैं सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य ऐसे निकाय अर्थात् अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के पद पर कार्यरत नहीं हूं.

क्यू) मैं सांविधिक केन्द्रीय लेखा परिक्षक के रूप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे किसी सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं.

आर) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं जिसमें चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत किया गया है.

एस) मेरा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (विधिक सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं उन गतिविधियों में शामिल हूं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है.

टी) मेरा किसी बैंक या किसी एनओएफएचसी धारक कोई अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण से पहले निर्वाचित होने पर बैंक के साथ संबंध को समाप्त करने का वचन देता/ देती हूं.

यू) मैं किसी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/ एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूं और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूं.

वी) मैं निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियम पत्र विलेख (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूं;

डबल्यू) मैं बैंक को पूरी तरह से, यथाशीघ्र, घटनाओं, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के बाद होने वाली जानकारी से संबंधित है, जो कि सूचना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है, और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन पर नियम पत्र विलेख निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूं; तथा

एक्स) मैं, सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित के संबंधित प्रावधानों को बैंक में निदेशक बने रहने तक पालन करुंगा/ करूंगी.

वाई) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

जेड) मैं अन्य कंपनी/ बैंक में वर्तमान में तथा पहले रहे अपने निदेशक कार्यकाल का विवरण नीचे दे रहा/ रही हूं:

कंपनी/बैंक का नाम	**निदेशक के रूप में विवरण अर्थात् कार्यकाल, निदेशक के पद का स्वरूप, अवधि आदि**

(आवश्यक हो तो अतिरिक्तरो / शीट लगाएं)

एए. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
ई-मेल आईडी	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं.	
(यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं.	
(यदि अभौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

नोट: उम्मीदवार इस घोषणापत्र में दिए गए विवरण को डिलीट/संशोधित कर सकते हैं

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है.

....

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्योरेंसस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर.

DECLARATIONS

I, ……………………………………… son/daughter/wife of Shri/Smt…………..……………… resident of………………………………………………………… ……hereby confirm that :

a. I am a Shareholder holding …………….. equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on **29th October 2021**, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

(*Delete whichever is not applicable.)

c. I accept the nominations numbering ……………………; and

d. I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and

f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and

g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that :

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

k. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;

n. I have not served as director in the past on the board of any bank/ FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

o. I am not engaging in the business of stock broking.

p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Baroda in which nomination for election is filed.

s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Bank of Baroda nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Baroda.

t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.

u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.

v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;

w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

z. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

aa. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
Email ID	
No. of shares	
Regd. Folio No.	
(if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No.	
(if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

____

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र
(उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

यहां पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

दिनांक ....2021 की स्थिति के अनुसार उपयुक्त अनुलग्नकों सहित प्रत्याशी द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र					
I		**प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण**			
	ए	नाम	**प्रथम नाम**	**मध्य नाम**	**अंतिम नाम**
	बी	वर्तमान पता			
	सी	राष्ट्रीयता			
	डी	जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष) और उस तारीख को आयु	- - / - - / - - - - आयु: - - वर्ष - - माह - - - दिन		
	ई	शैक्षणिक योग्यताएं			
	एफ	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
	जी	आधार संख्या			
	एच	(i) स्थायी खाता संख्या(पैन): (ii) आयकर सर्कल/वार्ड का नाम और पता, जहां प्रस्तावित निदेशक की कर (आयकर अधिकार क्षेत्र) निर्धारक किया जाता है : (iii) पिछले 3 वर्षों के लिए फाइल की गई विवरणी (यों) और करों के भुगतान का विवरण	**फाइल करने की तारीख**	**भुगतान की गई कर की राशि (रुपए में)**	
	आई	स्थायी पता			
	जे	ई-मेल का पता/ वैकल्पिक ई-मेल का पता: एसटीडी कोड सहित दूरभाष संख्या: मोबाइल संख्या:			
	के	संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव [बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित • बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2), • बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3ए) • एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(ए), जैसा भी मामला हो, का संदर्भ लें.]			
	एल	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त विवरण)			
	एम	जहां कार्य किया है उस संगठन(नों) का पूरा पता, नियुक्ति की तारीख, अवमुक्ति की तारीख (कारणों सहित), पदनाम आदि सहित विगत न्यूनतम दस वर्षों को शामिल करते हुए पिछला व्यवसाय.			
	एन	सनदी लेखकार के मामले में, निम्नलिखित सूचना दें: (i) आईसीएआई की सदस्यता संख्या (ii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकरण की तारीख (iii) पंजीकृत फर्म/फ़र्मों का नाम और पता (iv) फर्म/फ़र्मों द्वारा वर्तमान में किए गए लेखा परीक्षण /परीक्षणों के विवरण			

Name of Bank: Bank of Baroda

Declaration and Undertaking by a Proposed Director
(with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ____________2021

I		**Personal details of Candidate**			
	a	Name	**First Name**	**Middle Name**	**Last Name**
	b	Present Address			
	c	Nationality			
	d	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age as on date	- - / - - / - - - - Age: - - years - - months - - - days		
	e	Educational Qualifications			
	f	Director Identification Number (DIN)			
	g	Aadhaar Number			
	h	(i) Permanent Account Number (PAN): (ii) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward: (iii) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	**Date of filing**	**Amount of tax paid (INR)**	
	i	Permanent Address			
	j	E-mail Address/ Alternate e-mail Address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
	k	Relevant Knowledge and Experience [Refer • Section 10A(2) of Banking Regulation Act, 1949, • Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 • Section 19A(a) of the SBI Act, 1955, as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 on Special knowledge or practical experience useful to banking companies]			
	l	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)			
	m	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.			
	n	In case of a Chartered Accountant, indicate the following: (i) Membership Number of ICAI (ii) Date of registration with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (iii) Name and Address of the registered firm/s (iv) Details of the Audit/s presently undertaken by the firm/s			

<table>
<tr><td></td><td>ओ</td><td>शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) सहित बैंकर(रों) का नाम जहां वह प्राथमिक खाता धारक है.
डीमैट खाता(ते) यदि कोई हो, तो उसका विवरण (प्रति संलग्न करें)</td><td><table><tr><th>बैंक का नाम</th><th>शाखा</th><th>खाते का प्रकार</th><th>खाता संख्या</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>पी</td><td>सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी मॉड्यूल सहित)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>क्यू</td><td>कोई अन्य सूचना जो बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित हो</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td></td><td>प्रस्तावित निदेशक से संबंधित संबंध</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए</td><td>बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) के नियम 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें]</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>बी</td><td>(i) प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें). बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / कार्पोरेट निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए.
(ii) ऐसी संस्थाएं जिनमें वह लाभकारी स्वामित्व रखता हो/रखती हों [कंपनी अधिनियम, 2013 धाराएं 89 और 90 का संदर्भ लें और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व संबंधी नियमों का भी संदर्भ लें]
(iii) न्यासों की सूची जिसमें न्यासी के रूप में पद ग्रहण किया गया हो.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>सी</td><td>प्रस्तावित और मौजूद प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)* के प्रयोजन के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो.
“पर्याप्त हित” (i) एक कंपनी के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हितधारिता, जिस पर अदा की गई रकम 5 लाख से अधिक हो अथवा कंपनी की चुकता (प्रदत्त) पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है, इसमें जो भी कम हो;
(ii) एक फ़र्म के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हितधारिता, जो उक्त फ़र्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो;</td><td><table><tr><td>कंपनी/ फर्म का नाम</td><td></td></tr><tr><td>निगमीकरण का क्षेत्र</td><td></td></tr><tr><td>शेयरों की संख्या</td><td></td></tr><tr><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td><td></td></tr><tr><td>धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr><tr><td>कुल पीयूसी की % शेयर धारिता</td><td></td></tr><tr><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)</td><td></td></tr><tr><td>क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है.</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>डी</td><td>विदेशों में निगमित और भारत में व्यावसायिक स्थल वाले संस्थानों में धारिता</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ई</td><td>बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिनमें वह बोर्ड का सदस्य/ सलाहकार है अथवा रहा है (उस अवधि का विवरण देते हुए, जिसके दौरान उस कार्यालय का पद ग्रहण किया गया हो/किया गया था)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एफ</td><td>निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और/अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>जी</td><td>ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उसने अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने बैंक/ किसी अन्य बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य ऋणदाता संस्थान से ऋण सुविधाओं की चुकौती में चूक की है अथवा विगत 10 वर्षों में चूक हो चुकी हो.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एच</td><td>ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां वह एक चूककर्ता हैं या किसी बैंक/ एनबीएफ़सी/ किसी अन्य उधार देने वाले संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है.</td><td></td></tr>
<tr><td>III</td><td></td><td>व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए</td><td>निदेशक पद से संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां</td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td></td><td>प्रत्याशी के विरूद्ध कार्रवाइयां, यदि कोई हो</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए</td><td>यदि वह किसी व्यावसायिक संस्था/ निकाय का सदस्य है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरूद्ध पहले दोषसिद्धि के फलस्वरूप हो अथवा क्या वह किसी समय किसी व्यवसाय/धंधे को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>o</td><td>Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current /loan accounts) where he/she is the primary account holder.
Details of Demat account(s) held if any (attach copy)</td><td><table><tr><th>Name of the Bank</th><th>Branch</th><th>Type of A/c</th><th>A/c Number</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>P</td><td>Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>q</td><td>Any other information relevant to Directorship of the Bank</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td></td><td>Relevant Relationships of
of proposed director</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a</td><td>List of Relatives, if any, who are connected with any bank [Refer Sub-Section (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014]</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>b</td><td>(i) List of entities, if any, in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013). Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately.
(ii) Entities in which he/she holds beneficial ownership [Refer Sections 89 & 90 of Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]
(iii) List of Trusts in which the position as Trustee is held.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>c</td><td>List of entities, existing and proposed, in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.
“substantial interest” (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;</td><td><table><tr><td>Name of the company / firm</td><td></td></tr><tr><td>Country of incorporation</td><td></td></tr><tr><td>Number of shares</td><td></td></tr><tr><td>Face value of each shares</td><td></td></tr><tr><td>Total face value of share holding</td><td></td></tr><tr><td>Shareholding as % of total PUC</td><td></td></tr><tr><td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr><tr><td>Whether the entity is a section 8 company under Companies Act 2013</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>d</td><td>Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>e</td><td>Name of Bank/NBFC/any other company in which he / she is or has been a member of the Board / Advisor (giving details of period during which such office is/was held)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>f</td><td>Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the bank</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>g</td><td>Cases, if any, where he/she or entities listed in II (b) to (d) above are in default or have been in default in the past 10 years in respect of credit facilities obtained from the bank/ any other bank/ NBFC/any other lending institution.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>h</td><td>Cases, if any, where he/she is a defaulter or has been declared as a wilful defaulter by any bank/NBFC/any other lending institution.</td><td></td></tr>
<tr><td>III</td><td></td><td>Records of professional achievements</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>A</td><td>Professional achievements relevant for the directorship</td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td></td><td>Proceedings, if any, against the Candidate</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a</td><td>If the he/she is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past
against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.</td><td></td></tr>
</table>

	बी	पूर्व में उनके और /अथवा उपरोक्त II (बी) और (ई) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरूद्व आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्धि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो.	
	सी	उनके विरूद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिद्धि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
	डी	क्या निदेशक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है	
	ई	क्या वह अथवा II (बी) और (ई) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी अंवेषण के अध्यधीन रखा गया है?	
	एफ	क्या उनको कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनिमय/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए कभी दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो विवरण दें.	
	जी	क्या वह कभी सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए आदि जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आए हैं? ***(हालांकि प्रत्याशी द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नही होगा जो बाद में समग्र रुप से निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो सीमित होने अथवा न्यायिक क्षेत्राधिकार के अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)***	
V		**मद क्र. I से IV के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और 'उपयुक्त एवं समुचित' पाए जाने के लिए संबंधित अन्य कोई सूचना.**	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/ करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता/देती हूं. मैं बैंक के लेखापरीक्षा कार्य से खुद को दूर रखने और संस्थाओं जिसमें मैं दिलचस्पी रखता हूं में शामिल बैंक के ऋण/ निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेने का वचन देता/देती हूं.

मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूं.

स्थान:

दिनांक: **प्रत्याशी के हस्ताक्षर**

अनुलग्नक:

नोट :

जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुलग्न में समुचित संदर्भ के साथ सूचना संलग्न करें.

प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्न सहित) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति/ नामांकन समिति की राय/टिप्पणी

स्थान:

दिनांक: **अध्यक्ष के हस्ताक्षर**

समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	समिति के सदस्य के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her and / or against any of the entities listed in II (b) to (e) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her	
	d	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013?	
	e	Whether he/she or any of the entities at II (b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f	Whether he/she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	g	Whether he/she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc. ***(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).***	
V		**Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging 'fit and proper'**	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit/investment decisions involving entities in which I am interested. I also undertake to execute the Deed of Covenant as required to be executed by all the directors of the bank.

Place:

Date: **Signature of Candidate**

Enclosures:

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination and Remuneration Committee / Nomination Committee:

Place:

Date: **Signature of the Chair**

Signature of Committee Member	Signature of Committee Member	Signature of Committee Member

Place :

Date :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

टिप्पणियां
NOTES

टिप्पणियां
NOTES

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA | देना DENA
India's International Bank